न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 17/2019 दायर दिनाँक 02.12.2019

आवेदक		अनावेदकगण
1. कालूराम पुत्र मूलाराम उम्र 70 वर्ष जाति माली निवासी खरेश,तहसील--डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मोतीराम पुत्र गोकुलराम 2. पूर्णाराम पुत्र रामलाल 3. सुरजाराम पुत्र रामलाल 4. समस्त जाति माली निवासीयान खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 5. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

प्रार्थना—पत्र
अन्तर्गत धारा—251 ए
राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. रामेश्वरलाल भाकर वकील प्रार्थी
2. श्री विरेन्द्रसिंह वकील अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

दिनाँक :— 29.10.2020

यह है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 397 रकबा 0.05 बीघा किस्म भूमि गैर मुमकिन बेरी व कृषि भूमि खसरा नम्बर 398 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही द्वितीय ग्राम खरेश पटवार हल्का खरेश भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर में अवस्थित है। जिसका विधिवत बंटवारा होकर खसरा नम्बर 752/398 रकबा 07.04 बीघाए खरा नम्बर 751/398 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा हुए तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 513/399 ग्राम खरेश पटवार क्षैत्र खरेश, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खुनखुना में अवस्थित है जिसके रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 ता 3 चले आ रहे है।

यह है कि आवेदक कालूराम पुत्र मूलाराम कृषि भूमि 513/399 रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। आवेदक अपनी इस भूमि में सिंचाई के लिए गैर मुमकिन बेरा खसरा सं0 397 रकबा 0.05 बिघा में से सिंचाई के लिये निर्भर है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

यह है कि खसरा नम्बर 397 गैर मुमकिन बेरा पूर्व में कृषि भूमि खसरा नम्बर 398 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकारों के उपयोग एवं उपभाग में आता रहा है तथा इसी से ही सचिाई की जाती है तथा गैर मुमकिन बेरा में आवेदक के पिता मूलाराम के नाम से बिजली का कनेक्शन चला आ रहा है तथा इसी से ही सिंचाई की जाती रही है। कालांतर में कृषि भूमि खरा नम्बर 398 का बंटवारा होने के कारण नये खसरा नम्बर 752 / 398 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 2 पूर्णाराम एवं प्रतिवादी संख्या 3 सुरजाराम के बंट में आया हुआ है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 751 / 398 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 मोतीराम पुत्र गोकुलराम के बंट में आया हुआ है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 398 आवेदक एवं आवेदक के भाईयों की सामूहिक खातेदारी की भूमि है जिस हेतु कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है जिस कारण खसरा नम्बर 398 के खातेदारों को पक्षकार संयोजित नही किया गया है।

यह है कि आवेदक अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 513 / 399 में सिंचाई हेतु गैर मुमकिन बेरा खसरा नम्बर 397 में से पानी लेकर अपनी कृषि भूमि की सिंचाई करता चला आ रहा है परन्तु कृषि भूमि खसरा नम्बर 398 का बंटवारा होने के पश्चात नये खसरा नम्बर 751 / 398 व 752 / 398 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 आवेदक को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 513 / 399 में सिंचाई करने से व्यवधान एवं रुकावट उत्पन्न कर रह है इस कारण यह आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

यह है कि आवेदक अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 513 / 399 में सिंचाई करने के लिए अपने पैतृक गैर मुमकिन बेरा से सिंचाई के लिए कृषि भूमि खसरा नम्बर 751 / 398 व 752 / 398 में से होकर भूमिगत पाईप लाईन डालने की अनुज्ञा हेतु प्रार्थी है तथा प्रार्थी की सिंचाई के लिये यह सुगम एवं सुलभ है जिसको संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क क, ख से प्रदर्शित किया गया है जिसकी दूरी लगभग 80 मीटर है तथा आवेदक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 513 / 399 के लिये सिंचाई हेतु भूमिगत पाईप लाईन कृषि भूमि खसरा नम्बर 751 / 398 व 752 / 398 से होकर बिछाई जाती है तो कृषि भूमि खसरा नम्बर 751 / 398 व 750 / 398 के खातेदार काश्तकारों को किसी प्रकार की कोई क्षति, हानि, रुकावट आदि नही होगी इस कारण प्रार्थी आवेदक को गैर मुमकिन बेरा खसरा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व--वाद, संख्या 17/2019
दायर दिनॉक 02.12.2019, निर्णय दिनॉक 29.10.2020
कालूराम बनाम मोतीराम वगैरा।

नम्बर 397 से अपनी कृषी भूमि खसरा नम्बर 751/398 व 752/398 से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने की अनुमति प्रार्थनीय है।

अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 513/399 में सिंचाई हेतु गैर मुमकिन बेरा खसरा नम्बर 397 से कृषि भूमि खसरा नम्बर 751/398 व 752/398 में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जाने की अनुमति दिये जाने के आदेश सादर फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 की तरफ से वकील श्री विरेन्द्र सिंह ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आवेदक द्वारा खसरा सं0 513/399 में सिंचाई करना बताया है जबकि उक्त खसरा भूमि में आवेदक द्वारा गै0मु0 बेरा, खसरा सं0 397 से पानी नहीं लिया जाता है। काफी समय से उक्त बेरा में पानी की आवक कम होने से उक्त बेरा से नाम मात्र की कृषि भूमि ही जोत हो पाती है तथा आवेदन की उक्त कृषि भूमि खरेश में अवस्थित है। परन्तु आवेदक परिवार सहित डीडवाना में निवास करता है व अपनी बंट की भूमि अन्य काश्तकारों को बताता है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि आवेदक का उक्त आवेदन खारिज फरमाकर अनावेदकगण को न्याय एवं राहत दिलाने का आदेश फरमावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में पाईप लाईन बिछाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पाईप लाईन बिछाने हेतु रास्ता दिलावाने के आदेश प्रदान करावें। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा सं0 513/399 में सिंचाई करना बताया है जबकि उक्त खसरा भूमि में आवेदक द्वारा गै0मु0 बेरा, खसरा सं0 397 से पानी नहीं लिया जाता है। काफी समय से उक्त बेरा में पानी की आवक कम होने से उक्त बेरा से नाम मात्र की कृषि भूमि ही जोत हो पाती है अतः आवेदक का उक्त आवेदन खारिज फरमाकर अनावेदकगण को न्याय एवं राहत दिलाने का आदेश फरमावें।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 513/399 में पाईप लाईन हेतु खसरा सं0 397 से निकटतम दुरी खसरा सं0 752/398 व 751/398 में से कुल दुरी 270 फुट कुऐं तक है व सारण तक 180 फुट है। इसी खसरे में सबसे निकटतम दुरी यही है। तहसीलदार डीडवाना की

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व-वाद, संख्या 17/2019
दायर दिनाँक 02.12.2019, निर्णय दिनाँक 29.10.2020
कालूराम बनाम मोतीराम वगैरा।

रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदक की भूमि में पाईप लाईन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में पाईप लाईन के लिए प्रार्थी को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताबिक मार्क ए बी भूमि को रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है जो कि खसरा सं0 91 के नजदीकी रास्ता लगता है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 513/399 वाकै सरहद खरेश में पाईप लाईन बिछाने हेतु खसरा सं0 751/398 व 752/398 में से तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 237 दिनाँक 07.02.2020 में दर्शित मार्क ए बी भूमि पर पाईप लाईन बिछाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पाईपलाईन भूमि में नियामानुसार गहराई पर बिछायी जावें। साथ ही तहसीलदार डीडवाना को आदेशित किया जाता है, कि प्रार्थी से, पाईपलाईन बिछाने/डालने में कम हुई भूमि की दर का आंकलन नवीनतम प्रचलित डी.एल.सी. दर से कर **नियमानुसार** राशि राजकोष में जमा करा, प्रभावित पक्षकारान को **नियमानुसार** भुगतान करने के पश्चात ही राजस्व रेकार्ड में अंकन, नक्शे में तरमीम व अग्रिम कार्यवाही अमल में लावें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 29.10.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner